

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(33)राज / वाद / 24

जयपुर; दिनांक 28-2-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री दिनेश कुमार शर्मा अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर 815 / 2004) को जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर महानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर महानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री केशर सिंह नरुका, लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, जोधपुर महानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।


आज्ञा से

८०

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र मे प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


28/02/2025

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(33)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 28-2-25.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत सुश्री/श्रीमती वीणा चौहान, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर/1676/2008) को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, जोधपुर महानगर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो जोधपुर महानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री शिव प्रकाश भाटी, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो जोधपुर महानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

हृषि

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
5. महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
8. संबंधित न्यायालय।
9. संबंधित जिला कलक्टर।
10. संबंधित कोषाधिकारी।
11. संबंधित अभियोजक।
12. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र मे प्रकाशनार्थ।
14. रक्षित पत्रावली।

28/02/2025

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(33)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक 28-2-25.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार छंगाणी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं० आर / 1963 / 2000) को राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (सिविल) सं० 1, जोधपुर महानगर के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो तक, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री मनोज गहलोत, अपर लोक अभियोजक (सिविल) सं० 1, जोधपुर महानगर को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से

६०

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 सयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर / जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलकटर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र मे प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

28/01/2025
(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(33)राज / वाद / 24

जयपुर, दिनांक २४-२-२५.

आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं0 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतदद्वारा नियुक्त किया जाता हैः—

क्र.सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (म0उ0), जोधपुर महानगर	श्रीमती दुर्गा चौहान (आर/ 1110/ 1999)	अपर लोक अभियोजक (म0उ0), जोधपुर महानगर
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 1, जोधपुर महानगर	श्री विरेन्द्र सिंह इन्द्रा (आर/ 1926/ 2000)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 1, जोधपुर महानगर
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 6, जोधपुर महानगर	सुश्री/ श्रीमती शीतल जैन (आर/ 3336/ 2005)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 6, जोधपुर महानगर
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं0 7, जोधपुर महानगर	श्री राजराम (आर/ 84/ 2001)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 7, जोधपुर महानगर

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता हैः—

क्र०सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्रीमती शबनम बानो	अपर लोक अभियोजक (म0उ0), जोधपुर महानगर
2	श्री नटवर लाल शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 1, जोधपुर महानगर
3	श्री लतीफ	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 6, जोधपुर महानगर
4	श्री भरत सिंह गहलोत	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 7, जोधपुर महानगर

आज्ञा से

(राजेश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मध्य अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलेक्टर।

- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र मे प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।

३१/०७/२०
(राजश गुप्ता)
शासन सचिव, विधि